न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2018/2486

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–अशोकनगर

बलराम पुत्र श्री मिठ्ठू सिंह दांगी
निवासी–कुकावली तहसील मुंगावली
जिला–अशोकनगर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरुद्ध

प्रेमबाई पत्नी दौलत सिंह दांगी
निवासी–कुकावली तहसील मुंगावली
जिला–अशोकनगर (म.प्र.)

...... अनावेदक

श्री ...... द्वारा आज दि. 19.4.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 27.4.18 नियत।
19.4.18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

<u>न्यायालय अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/बी–121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1 यहकि, तहसीलदार मुगांवली द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ–46/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 19.05.1995 में बलराम पिता मिठ्ठू सिंह दांगी निवासी कुकावली बनाम प्रेमबाई पत्नी दौलत सिंह दांगी निवासी कुकावली के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मुगावली से जांच प्रतिवेदन दिनांक 19.03.2010 न्यायालय अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर को जांच कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

2 यहकि, उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/बी–121/2012–13 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जिसमें आवेदक को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिये बिना पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा वर्तमान निगरानी उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायदान हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–तीन/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2018/2486

बलराम विरूद्ध प्रेमबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 42/बी–121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 28–11–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 3/ पक्षकार दिनांक 05–09–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	